State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

No.: 1476 /SEIAA/22
Date: 26/8/22

प्रति,

श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी,
निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर,
जिला शाजापुर (म.प्र.)

संदर्भः प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/IND3/219050/2021** - प्रकरण क्र. 9246/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 742वी बैठक दिनांक 18.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 737वी बैठक दिनांक 13.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.364 हेक्टेयर, खसरा 675, ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. डिया/2016/653 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 303 दिनांक 12.04.2017 (वैधता 31.07.2025 तक) की प्रति।*

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 12.04.2017 को हस्तांतरित की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर, शाजापुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि लीज हस्तांतरण दिनांक से नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्र. 408 दिनांक 01.08.2022 द्वारा उत्खनन से संबंधित चाही गई जानकरी प्रस्तुत की गई है। राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत उक्त जानकारी को मान्य हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डिया/2016/653 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2016 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.07.2025 तक मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1477 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 26/8/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला शाजापुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला शाजापुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) ।
10. खनिज अधिकारी, जिला शाजापुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

d/c सदस्य सचिव

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

No.: 1476 /SEIAA/22
Date : 26/8/22

प्रति,

श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी,
निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर,
जिला शाजापुर (म.प्र.)

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/IND3/219050/2021 - प्रकरण क्र. 9246/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 742वी बैठक दिनांक 18.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 737वी बैठक दिनांक 13.07.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

(1) *नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.364 हेक्टेयर, खसरा 675, ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।*

(2) ***यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :—***

I. *पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।*

II. *श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म. प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।*

III. *डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. डिया/2016/653 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।*

IV. *NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।*

V. *नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।*

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 303 दिनांक 12.04.2017 (वैधता 31.07.2025 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 12.04.2017 को हस्तांतरित की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर, शाजापुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि लीज हस्तांतरण दिनांक से नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के पत्र क्र. 408 दिनांक 01.08.2022 द्वारा उत्खनन से संबंधित चाही गई जानकरी प्रस्तुत की गई है। राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत उक्त जानकारी को मान्य हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अत : डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डिया/2016/653 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त पर जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2016 में निहित समस्त शर्ते यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.07.2025 तक मान्य रहेगी।
II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजंना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र. 1477 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 26/8/22

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला शाजापुर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला शाजापुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.)।
10. खनिज अधिकारी, जिला शाजापुर (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

d/c सदस्य सचिव